भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

मिसिल संख्या -: **9PBC332/2018-CHA** दिनांक: 17-09-2018

सेवा में ,

प्रधान सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लधु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ ।

विषयः- **Diversion of 9.12 ha of forest land (5.6 ha in Ferozepur division and 3.52 ha in Sri Muktsar Sahib forest division) for construction of 765 KV D/C Bikaner-Moga Transmission line to evacuate bulk Solar Power from Rajasthan to Punjab. (Online Proposal No. FP/PB/Trans/27080/2017) regarding:-**

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (FC) & नोडल अधिकारी (FCA) पंजाब सरकार वन एवं वन्य जीव संरक्षक विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/52-53/2018/89 दिनांक 25.04.2018 की ओर दिलाया जाता है जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (FC) & नोडल अधिकारी (FCA) पंजाब सरकार पत्र संख्या FCA/1980/52-53/2018/757 दिनांक 06.09.2018 द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 9.12 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधें काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 431, पोलो की संख्या 38 और पौधो की संख्या 782 in Sri Muktsar Sahib और पौधो की संख्या 1450 in Ferozepurसे अधिक नहीं होगी।
iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार AB Canal RD 102-105 L/s(Sri Muktsar Sahib) and Chandbhan Drain RD 41-54 B/s (Ferozepur) में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 99,80,480/-रूपये (Ninty nine Lakh eighty thousand four hundred eithty only) की राशि से **18.24** हैक्टयर क्षेत्र में पौधे लगाकर किया जायेगा।
iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार AB Canal RD 102-105 L/s(Sri Muktsar Sahib) Ferozepur-Kulgari Road RD 0-10 B/s (Ferozepur) में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 47,68,535/-रूपये (Fourty seven Lakh sixty eight thousand five hundered thirty five only) की राशि से **9.08** हैक्टयर क्षेत्र में पौधे लगाकर किया जायेगा।
v. *प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।*
vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
vii. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 67 मीटर होगी।
viii. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 7.00 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी। परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा।
ix. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 9.0 मीटर होना चाहिए। कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। संचरण लाइन के मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों का रोपण किया जायेगा।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

x. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xi. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |

xiii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

xiv. यदि संचरण लाइन का बनाये जाने वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पर पर्याप्त निकासी पहले ही मौजूद है, वहां पर पेड़ नहीं काटे जायेंगे |

xv. प्रयोक्ता एजेंसी कूड़े कर्कट का निष्पादन, राज्य वन विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार पूर्व निश्चित स्थलों पर इस प्रकार से करेगी कि यह नीचे की तरफ ना गिरे |

xvi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xvii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xviii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी |

xx. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xxi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |

xxii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |

xxiii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |

xxiv. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xxv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxvi. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी |

xxvii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। *राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।*

भवदीय्

(सी० डी० सिंह) 17/09/2018

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला Sri Muktsar Sahib and Ferozepur, पंजाब |
4. Power Grid Corporation of India Ltd., H.No. 46, Model Town, Phase-II, Bathinda.

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in